(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 13 / 2018

बउनवान

आसिफा खानम पत्नि ताहिर अली मुसलमान निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

1. श्री रामचन्द्र धनोरिया पुत्र श्यामलाल धनोरिया गाडरी निवासी छबडा तहसील छबडा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक (**अपीलांट**)
2– श्री बृजराज सिंह चौहान **(रेस्पोडेन्ट क्रम. 1)**
3– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट क्रम. 2)**

निर्णय दिनांक 28.08.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित आदेश क्रमांक / भू–अभि0 / 2018 / 3553 दिनांक 19.7.2018 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपील प्रस्तुत की गयी है।

इस पर अपील को दिनांक 16.10.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल आदेश तलब किये जाने उपरांत भी अप्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि ग्राम रीछडा तहसील छबडा मे आराजी खसरा नम्बर 311 रकबा 2 बीघा स्थित है। जिसकी अपी0 1 / 3 हक हिस्से की सहखातेदार है। अपीलांट ने अपने खाते की भूमि के सीमाज्ञान हेतु दिनांक 21.6.2018 को आवेदन किया था। जिस पर तहसीलदार रेस्पो0 क्रम 2 ने दिनांक 3.8.2018 को आदेश पारित किया था कि आराजी खसरा नम्बर 325 के खातेदार रेस्पो0 क्रम 1 एवं अपीलांट की उपस्थिति मे दिनांक 8.8.08 को सीमाज्ञान कराया जाना सुनिश्चित करे। किनतु दिनांक 28.8.2018 तक उक्त आदेश की पालना मे उक्त विवादित रकबा खसरा नमबर 325 रकबा 10 बी0 19 बि0 व खसरा नम्बर 311 / 1 रकबा 2 बीघा का सीमाज्ञान करने हेतु राजस्व टीम का गठन नही किया गया। अतः पुनः 28.8.2018 को टीम गठित कर सीमाज्ञान कराए जाने का आदेश दिया गया। परन्तु तहसीलदार छबडा ने उक्त आदेश की पालना मे राजस्व टीम का गठन नही किया गया और दिनांक 6.9.2018 को स्वंय द्वारा मय हल्का पटवारी मौका देखा गया तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.6.2018 को प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से खारिज फरमा दिया गया तथा दिनांक 19.7.2018 को उक्त आदेश पारित किया ।

प्रार्थिया द्वारा दिनांक 21.6.2018 को एक प्रार्थना पत्र रेस्पो0 नम्बर 2 को इस आशय का प्रस्तुत किया था कि ग्राम रीछडा तहसील छबडा मे आराजी खसरा नम्बर 311 जो अपीलांट के सहखातेदारी की है, वह राजकीय भूमि खसरा नम्बर 312 तथा रेस्पो0 क्रम 1 के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 325 है। अपीलांट की खातेदारी की आराजी का सीमाज्ञान मुश्तकिल प्वाइंट से कराया जावे। रेस्पो0 कतई गैरकानूनी तरीके से आराजी मे अतिक्रमण करने हेतु प्रयासरत है तथा अपीलांट के अधिकारो का हनन हो रहा है। हल्का पटवारी द्वारा नक्शा ट्रेस मे स्थित किसी मुश्तकिल प्वाइंट के निर्धारित किए बिना फौरी तोर पर सीमाज्ञान कर रिपोर्ट पैमाईश तैयार की गई है। जो कतई गैर कानूनी है तथा अपीलांट को सूचित किये बिना उक्त पैमाईश की गई है तथा रेस्पो0 रामचन्द्र धनोरिया को लाभान्वित करने के लिए गलत तथ्यो के आधार पर उक्त पैमाइश रिपोर्ट तैयार की गई है।

उक्त आराजी खसरा नम्बर 325 से लगी हुई खसरा नम्बर 312 रकबा 6 बी0 12 बि0 राजकीय भूमि है जो राजस्व रिकार्ड मे सार्व0 निर्माण विभाग की खातेदारी मे है। खसरा नम्बर 312 के बाद 311 नम्बर की भूमि अपीलांट के सहखातेदारी की आराजी है। जो पैमाईश रिपोर्ट मे राजकीय भूमि को दर्शाये बिना ही सीधा अपीलांट की सहखातेदारी की आराजी को रेस्पो0 क्रम 1 के अधिकारो मे होना वर्णित कर दिया तथा उक्त गलत पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर रेस्पो0 क्रम 1 अपीलांट को उक्त आराजी से बेदखल करने व उस पर कब्जा करने पर आमादा है। उक्त पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 30.5.2018 को अस्वीकार कर खारिज किये जाने हेतु रेस्पो0 क्रम 1 ने रेस्पो0 क्रम 2 को आवेदन किया था। दिनांक 19.7.2018 को रेस्पो0 क्रम 2 द्वारा यह आदेश दिया था कि जब तक उक्त भूमि का पुनः सीमाज्ञान नही हो जाता उक्त भूमि को किसी तहत बेचान खुर्द बुर्द न करे व शांती बनाये रखे एवं दिनांक 17.9.2018 को रेस्पो0 नम्बर 2 द्वारा स्वंय के आदेश को फेर बदन कर अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया आधारहीन मानकर खारिज कर दिया। जो गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है।

अपील अंदर मियाद समाअत अदालत हाजा उचित शुल्क पर पेश कर खसरा नम्बर 311/1 रकबा 2 बी0 ग्राम रीछडा तहसील छबडा की पैमाईश हेतु किसी मुश्तकील प्वाइंट के आधार पर सीमाज्ञान पर पैमाईश रिपोर्ट तैयार किए जाने का आदेश प्रदान करे तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गैर कानूनी होने से निरस्त फरमावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित आदेश नियमानुसार पारित किया गया है। जिसकी किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। उक्त प्रकरण की सुनवाई किये जाने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा उक्त पारित आदेश क्रमांक/भू–अभि0/2018/3553 दिनांक 19.7.2018 से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को आदेशित किया गया है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/भू0अ0/2018/1859 दिनांक 26.5.2018 की पालना मे दिनांक 30.5.2018 को ग्राम रीछडा की आराजी खसरा नम्बर 325 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा का सीमाज्ञान कराया गया था। जिस पर आसिफा खानम पत्नि

ताहिर अली मुसलमान निवासी छबडा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त सीमाज्ञान को किसी मुस्तकील पाइंट के निर्धारण के बिना फौरी तौर पर सीमाज्ञान करना बताया गया है तथा नक्शा ट्रेस व मुस्तकिल पाइंट के मध्य नजर प्रार्थीया एवं अन्य सहखातेदारान की उपस्थिति मे सीमाज्ञान करवाने का निवेदन किया गया है। अतः आप उक्त सीमाज्ञान के आधार पर जब तक दोबारा सीमाज्ञान नही हो जाता है। उक्त भूमि को किसी तहत बेचान, खुर्द–बुर्द नही करे तथा शांति बनाए रखे।

उक्त आदेश पारित होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा उनके कार्यालय के आदेश क्रमांक/भू0अ0/2018/4159–60 दिनांक 7.9.2018 से अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को सूचित किया गया कि अद्योहस्ताक्षर कर्ता द्वारा दिनांक 6.9.2018 को स्वंय द्वारा मय हल्का पटवारी मौके पर मौका देख गया। जिस पर आपत्तिकर्ता आसिफा खानम द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 21.6.2018 प्रथम दृष्टिया आधारहीन होने से खारिज किया जाता है साथ ही आदेश क्रमांक/भू–अभि0/2018/3553 दिनांक 19.7.2018 निरस्त किया जाता है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा जिस आदेश की अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.7.2018 से निरस्त कर दिया गया है।

Rajasthan Land Revenue Act 1956 की धारा **111 Decision of disputes as to boundaries -** (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Record Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section, the Land Record Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within s period of three months previous to rhe commencement of the inquiry, the Land Record Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly. एवं

E-Maintenance of Maps and Records

128 Boundary disputes – All disputes concerning boundaries shall be dicided by the Land Record Officer in the manner laid down in Section 111:

[provided that application in relation to boundaries of fields may be made to any diposed by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likehood of such a dispute arising.]

Notification 1982 – Gram Panchayat given powers for 45 days – The proviso to Section 128 provides for the application in relation to boundaries of fields where no dispute as to such boundaries exists, but on account of absence of proper boundaries marks there is the likehood of such a dispute arising . Thus this provision is meant to avoid future dispute relating to boundaries . Such undisputed matter can be disposed of by Tehsildar on application of the party concerned.

Recently, the State Government has issued a revised notification on 4-9-1982 and the powers conferred on Tehsildar have been given to Gram Panchayat to be exercised within

a period of 45 days. The notification is reproduced hereunder for ready reference. के अन्तर्गत उक्त प्रकरण को सुनवाई का श्रवणाधिकार उपखण्ड अधिकारी को होने से परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। यदि अपीलांट असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.09.18 16:15:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: